



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 4]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 26, 2002 (माघ 6, 1923)

No. 4]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 26, 2002 (MAGHA 6, 1923)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued
by Statutory Bodies]

NATIONAL HOUSING BANKNew Delhi 110 003 the th 27 September, 2001

No. NHB.HFC.LA-1/CMD-2001

Maintenance of a minimum percentage of liquid assets

In exercise of the powers conferred under Section 35B read with sub-sections (1) and (2) of Section 29B of the National Housing Bank Act, 1987, the National Housing Bank being satisfied that it is necessary so to do, hereby declares that provisions of sub-sections (1) and (2) of Section 29B of the said Act shall not apply to a housing finance company, subject to the conditions that-

(A) Every housing finance company shall


(1) invest and continue to invest in India in unencumbered approved securities valued at a price not exceeding the current market price of such securities, an amount which, at the close of business on any day, shall not be less than six percent of the public deposits outstanding at the close of business on the last working day of the second preceding quarter.

(2) maintain in India in an account with a scheduled bank in term deposits or certificate of deposits (free from charge or lien) or in deposits with the National Housing Bank or by way of subscription to the bonds issued by the National Housing Bank or partly in such an account or in such deposit or partly by way of such subscription, a sum which, at the close of business on any day, together with the investment made under clause (1) shall not be less than twelve and a half percent of the public deposits outstanding at the close of business on the last working day of the second preceding quarter.

(B) All other provisions of section 29B shall *mutatis mutandis* be applicable to the above requirement as if the expression "public deposit" is the same as the expression "deposit" as contemplated under the said provision.

Explanation:

"Public deposit" shall have the same meaning as defined under paragraph 2 (1) (w) of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001.


(Shekhar Agarwal)
Chairman

राष्ट्रीय आवास बैंक
नई दिल्ली 110003 - दिनांक: 27 सितम्बर, 2001

~~शुद्धि सूचना~~ सं0 एनएचबी. एचएफसी. लि.1 / सीएमडी-2001

अर्थसुलभ आस्तियों का न्यूनतम प्रतिशत बनाए रखना

राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29ख की उपधाराओं (1) एवं (2) के साथ पठित धारा 35 ख के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राष्ट्रीय आवास बैंक इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना अनिवार्य है, एतद्वारा यह घोषणा करता है कि कथित अधिनियम की उपधाराओं (1) एवं (2) के उपबंध किसी आवास वित्त कंपनी पर, इन शर्तों के अध्वधीन लागू नहीं होंगे कि -

(क) प्रत्येक आवास वित्त कंपनी

(1) भारत में विल्लंगमरहित अनुमोदित प्रतिभूतियों, जो ऐसी प्रतिभूतियों के चालू बाजार मूल्य से अनधिक की कीमत पर मूल्यांकित की गई हों, में उतनी राशि का निवेश करेगी और निवेश करना जारी रखेगी, जो किसी दिन कारोबार की समाप्ति पर, दूसरी पूर्ववर्ती तिमाही के अंतिम कार्यदिवस को कारोबार की समाप्ति पर बकाया सार्वजनिक निक्षेपों के छह प्रतिशत या पच्चीस प्रतिशत से अनधिक ऐसे उच्चतर प्रतिशत, जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक समय समय पर और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, से कम नहीं होगी;

(2) भारत में किसी अनुसूचित बैंक के खाते में सावधि जमा या जमा प्रमाणपत्र में (प्रभार या धारणाधिकार से मुक्त) या राष्ट्रीय आवास बैंक के पास रखी गई निक्षेपों में या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी किए गए बांडों में अभिदान के रूप में या आंशिक रूप से ऐसे खाते में या ऐसे निक्षेपों में या आंशिक रूप से ऐसे अभिदान के रूप में ऐसी राशि रखेगी, जो किसी दिन कारोबार की समाप्ति पर, उपर्युक्त खण्ड (1) के अंतर्गत किए गए निवेश सहित, दूसरी पूर्ववर्ती तिमाही के अंतिम कार्य दिवस को कारोबार की समाप्ति पर आवास वित्त कंपनी की बहियों में बकाया सार्वजनिक निक्षेपों के साढ़े बारह प्रतिशत या पच्चीस प्रतिशत से अनधिक ऐसे उच्चतर प्रतिशत, जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक समय समय पर और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, से कम नहीं होगी।

(ख) धारा 29 ख के सभी उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित उपर्युक्त अपेक्षा हेतु लागू होंगे यदि "सार्वजनिक निक्षेप" की अभिव्यक्ति वही है जैसी कि कथित उपबंध में "निक्षेप" की अभिव्यक्ति अवेक्षित है।

स्पष्टीकरण:

"सार्वजनिक जमा राशि" का वही अर्थ होगा जो आवास वित्त कंपनी (रा0 आ0 बैंक) निर्देश, 2001 के निर्देशों के अनुच्छेद 2 (1) डब्ल्यू में परिभाषित है।

(शेखर अग्रवाल)
अध्यक्ष